

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 207/2019

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि०

पंजीकृत कार्यालय-19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर

शाखा कार्यालय:- आदर्श नगर, अजमेर

जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

- (1). श्री धर्मराज पुत्र श्री धरनीधर,
निवासी:- ग्राम लोहरवाडा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर व धर्मराज प्रोपर्टी
खसरा नम्बर 192, ग्राम लोहरवाडा, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
- (2). श्रीमती मनसा देवी वैष्णव पत्नि श्री धर्मराज,
निवासी:- ग्राम लोहरवाडा, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
- (3). श्री अनिल कुमार पुत्र श्री देवाराम,
निवासी:- मकान नं० 1657/4, ग्राम फूलगंज, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
- (4). श्री राजेश कुमार पुत्र श्री भगवानदास,
निवासी:-मकान नं० 1656, हवा चक्की, मोहल्ला, वार्ड नं० 4,
तहसील-नसीराबाद जिला-अजमेर

.....अप्रार्थीगण (ऋणी / जमानती)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिक्सट्रक्शन
आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री प्रवीण सिंह राजावत

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 02.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सं 01 से 03 को दिनांक 08.03.2015 को रु 12,00,000/- (अक्षरे बारह लाख रुपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम लोहरवाडा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर स्थित खसरा नं० 192 का भाग, क्षेत्रफल 9100 वर्ग मीटर (खुला भाग 3600 वर्ग मीटर), जिसका कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नसीराबाद द्वारा क्रमांक/उखन/भूरू./14/23 दिनांक 07.04.2014 से संपरिवर्तन किया गया जिसका पंजीयन उप पंजीयक नसीराबाद में पंजीयन किया गया, की चतुर्थ सीमाएं- पूर्व -श्री विष्णु की सम्पत्ति, पश्चिम -श्री मुरली की सम्पत्ति, उत्तर-स्वयं की भूमि, दक्षिण -मुख्य सडक, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 28.02.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 24.06.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रुपये-6,32,230/- (अक्षरे छः लाख बत्तीस हजार दो सौ तीस रुपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The



[Signature]
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दरतावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति ग्राम लोहरवाडा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर स्थित खसरा नं0 192 का भाग, क्षेत्रफल 9100 वर्ग मीटर (खुला भाग 3600 वर्ग मीटर), जिसका कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नसीराबाद द्वारा क्रमांक/उखन/भूरू./14/23 दिनांक 07.04.2014 से संपरिवर्तन किया गया जिसका पंजीयन उप पंजीयक नसीराबाद में पंजीयन किया गया, की चतुर्थ सीमाएं- पूर्व -श्री विष्णु की सम्पत्ति, पश्चिम -श्री मुरली की सम्पत्ति, उत्तर-स्वयं की भूमि, दक्षिण -मुख्य सडक, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्व कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 02.12.2019 को सुनाया गया।



Ushama
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर